**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 719**

**सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को उत्‍तर देने हेतु**

**छतों पर लगाए जाने वाले सौर संयंत्रों के लिए राज सहायता**

**719. श्री रवि प्रकाश वर्माः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय छतों पर सौर संयंत्र लगाने पर 30 फीसदी राजसहायता मुहैया करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक महाराष्ट्र में कितने परिवारों को ऐसे संयंत्र लगाने के लिए राजसहायता मुहैया कराई गई है;

(ग) छतों पर सौर संयंत्र तथा उसकी बैटरी की कितनी उम्र होती है; और

(घ) केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

**उत्‍तर**

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) : मंत्रालय द्वारा ऑफ-ग्रिड सौर रूफटाप स‍ंयंत्रों के लिए 30 % और ग्रिड संबद्ध रूफटाप सौर संयंत्रों की संस्‍थापना करने के लिए 15% सब्‍सिडी दी जा रही है।

(ख) : महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा महाराष्‍ट्र में 246.06 किलोवाट पीक समग्र क्षमता की 38 ऑफ ग्रिड रूफटाप परियोजनाओं को सब्‍सिडी उपलब्‍ध कराई गई है।

(ग) ग्रिडसंबद्ध सौर रूफटाप संयंत्रों का प्रतीकात्‍मक जीवन 25 वर्षों का होता है और ये प्रणालियां बैटरी बैक-अप के बिना होती हैं। बैटरी की उम्र उपयोग में लाई गई बैटरी के प्रकार तथा इसके अनुरक्षण और रख-रखाव पर निर्भर करती है।

(घ) केंद्र सरकार द्वारा देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं:

* जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 1,00,000 मेगावाट पीक क्षमता की ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत, 2000 मेगावाट पीक ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोग त‍था 20 मिलियन वर्ग मीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र की संस्‍थापना के संचयी लक्ष्‍य निर्धारित किए गए हैं।
* राष्‍ट्रीय शुल्‍क दर नीति में सौर ऊर्जा के लिए अक्षय विद्युत खरीद बाध्‍यता (आरपीओ) का प्रावधान किया गया है।
* ग्रिड-संबद्ध सौर रूफटाप प्रणालियों और ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों पर सब्‍सिडी प्रदान करना।
* सौर विद्युत संयंत्रों की स्‍थापना हेतु रियायती आयात शुल्‍क/उत्‍पाद शुल्‍क से छूट, त्‍वरित मूल्‍यह्रास और करावकाश का प्रावधान ।
* गृह निर्माण ऋण/गृह मरम्‍मत हेतु ऋण के एक भाग के रूप में बैंक से ऋण का प्रावधान। ऋण देने के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत व्‍यक्तियों के लिए 10 लाख रू. तक के ऋण उपलब्‍ध हैं।
* ग्रिड संबद्ध रूफटाप प्रणालियों के लिए प्रणाली समाकलकों के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्‍था से रियायती ब्‍याज दर (9.9% से 10.75% तक) पर ऋण उपलब्‍ध हैं ।
* उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन, व्‍यवहार्यता अंतराल निधिकरण और ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए समय-समय पर घोषित विभिन्‍न इंटरवेंशन्‍स के माध्‍यम से मिश्रित विद्युत की सुविधा ।
* भारतीय सौर ऊर्जा निगम तथा राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा संस्‍थान की स्‍थापना ।
* प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं इत्‍यादि जैसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

नई प्रौद्योगिकियों तथा कार्यदक्षता में सुधार लाने के उद्देश्‍य से कई अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयास आरंभ किए गए हैं।